तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/25	पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... तारी से रुबरु उपस्थित..... क्रिया भाग ..... अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 12/9/25 को पेश हो।	
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 6 व 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 तामील के कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 10/12/25 को पेश हो।	
10.12.25	वादी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वादिनी शपथपत्र अनुसूचि आदेश 18 नियम 4 आ.सं. का पेश किया गया जिस पर वादी के बयान करवाये गये। दस्तावेज कायम करवाये गये। वकील वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस में दिनांक 17/12/25 को पेश हो।	
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। वादी लक्ष्मीलाल पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी गरावला तहसील हिंगला जिला चित्तौड़गढ़ की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार भैरवा ने वाद पत्र अनुसूचि धारा 33, 53, 188 भा.द.वि. एवं 4 के तहत प्रतिवादीगण श्री रामलाल पिता लक्ष्मीचंद ब्राह्मण व अन्य निवासी गरावला के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा गरावला के खाता संख्या 136 में दर्ज भूमि नम्बर 396, 397, 412, 415, 665/26, 661/27, 671/28, 703/400, 710/401, 721/503 किस्म आराजी 11 कुल रकबा	

उपखण्ड अधिकारी
हिंगला

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम .....

बनाम .....

तथा ..... व ..... सन् .....

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.81500 है. भूमि खाता संख्या 53 में दर्ज आराजी नम्बर 240, 241, 242, 245, 254, 282, 420, 422, 423, 500, 566/503, 566/503, 567/503 किस्म आराजी 12 कुल रकबा 3.3210 है. भूमि, खाता संख्या 60 में दर्ज आराजी नम्बर 262, 263 किस्म-2 कुल रकबा 1.72 है., खाता संख्या 56 में दर्ज आराजी नम्बर 443, 467, 463, 553/425, 572/26 किस्म-5 कुल रकबा 0.3780 है. भूमि इसी प्रकार से खाता संख्या 53 में दर्ज आराजी नम्बर 487, 503, 503, 661/503 किस्म-4 कुल रकबा 1.0740 है. भूमि स्थित है उक्त खाते में वर्णित वाद पत्र के चरण संख्या 1 से 5 में दर्ज आराजीयात लक्ष्मीचंद्रजी के खातेदारी में दर्ज थे, लक्ष्मीचंद के तीन पुत्र नेकलाल, जगन्नाथ व रामलाल हुए नेकलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान उसके पुत्र कमलशंकर, नानालाल हुए, नानालाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसका पुत्र भगवतीलाल व बेटा लल्ली वादी है वादी लक्ष्मीलाल व रामलाल जीवित है जिनके वारिस वादी व उपवादी संख्या 2 से 5 कमशः श्रीनारायण, सोहन लाल, रामलाल, मांगीलाल व छोटी लीला वादी है। वादगस्त आराजी पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति की तरह वादी रामलाल जी का पुत्र होने से वादी का हक आराजीयात में जन्म से ही एक हिस्सा निश्चित है इसलिए रामलाल के एक हिस्सा की आराजीयात में वादी का 1/7 हिस्सा है इसी एक हिस्सा के अनुसार आराजीयात वादी व उपवादी सं. 1 से 5 हमकेखातेदारी में दर्ज की गयी वाद पत्र के चरण सं. 1 से 5 तक में वर्णित आराजीयात वादी की पैतृक पुश्तैनी की होने से वादी का आराजीयात में जन्म से ही एक हिस्सा है इसलिए वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 136 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/7 एक हिस्सा तथा उपवादी संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक का 1/7 एक हिस्सा है। वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित खाता सं. 53 में दर्ज आराजीयात में वादी का 1/42 एक हिस्सा व उपवादी ... का 1/42 एक हिस्सा है	

उपखण्ड अधिकारी
हिंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(७)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्र के चरण सं० 3 में वर्णित खाता संख्या 60 में दर्ज आराजी मात
में वादी का 1/62 एक हिस्सा है व प्रतिवादी सं० 1 से 6 तक का
प्रत्येक का 1/62 एक हिस्सा है, वाद पत्र की चरण सं० 4 में वर्णित
खाता सं० 56 में दर्ज आराजीयात में वादी का 1/4 एक हिस्सा है व
प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का प्रत्येक का 1/4 एक हिस्सा है,
वाद पत्र के चरण सं० 5 में दर्ज खाता सं० 53 में दर्ज आराजीयात
में वादी का 1/42 एक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का
प्रत्येक का 1/42 एक हिस्सा है। इसी एक हिस्सा अनुसार
वादी को खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा करवाया जाने
व राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाने। प्रस्तुत वाद पत्र को
बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को आदि से सम्मन
नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 की मृत्यु के बाद
से वकील वादी द्वारा पुकारना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4
जा.दे. का पेश किया गया जिसको स्वीकार किया गया, वकील
वादी द्वारा संशोधित एडिंग पेश किया गया जिसको शामिल
पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 18 तक
बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया प्रतिवादी
संख्या 6 व 10 औपचारिक पक्षकार है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली को एक पक्षीय साक्ष्य
वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र
अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा.दे. का पेश हुआ जिस पर
वादी का बयान कराये जाकर दस्तावेज छपवी कराये
जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस को सुना गया
वकील वादी ने बहस में कथन किया गया कि वाद पत्र के
चरण संख्या 1 से 5 तक में वर्णित आराजीयात वादी की पैतृक
सम्पत्ति को होने से वादी का वाद पत्र के अनुसार एक हिस्सा
है इसलिए इसी एक हिस्सा के अनुसार वादी को खातेदार
घोषित करने की घोषणा का आदेश जारी किया जाये तथा वादी ने
अपने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा.दे. में धारा 52
आर.ए. 9 के वाद को विड्रो की जाने तथा प्रतिवादी सं० 1
को स्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे कि
वादी के कब्जे कास्त में दखलअन्दाजी नहीं करें का आदेश पारित
करें वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात
पत्रावली का अवलोकन कर परीक्षण किया जाने के उपरान्त
वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 को स्वीकार किया
जाने का आदेश दिया जाता है, तथा धारा 53 के वाद को
वादी द्वारा विड्रो करने से खारिज किया जाने का आदेश
दिया जाता है। तथा ग्राम गरावला के खाता संख्या 126 में

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी को 1/7 एक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक के
प्रत्येक को 1/7 एक हिस्सा है, खाता संख्या 52 में वादी
का 1/42 एक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक
को 1/42 एक हिस्सा है, खाता संख्या 60 में वादी को 1/62
एक हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का प्रत्येक का 1/62
एक हिस्सा है, खाता संख्या 56 में वादी का 1/4 व प्रतिवादीगण
1 से 6 तक का प्रत्येक का 1/4 एक हिस्सा है, खाता संख्या
53 में वादी का 1/42 एक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक
का प्रत्येक का 1/42 एक हिस्सा के अनुसार एक हिस्सा
के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक को खातेदार
घोषित करने की घोषणा की जाना उचित है। अतः
उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 तक
को खातेदार घोषित करने की घोषणा की जाने का आदेश
दिया जाता है। मौजा गरावला के खाता संख्या 126, 56,
52, 53, 60, में वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण
संख्या 1 से लगायत 6 तक प्रत्येक को उपर वर्णित हिस्सा अनुसार
राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाने का आदेश
दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा भूमि चकबन्दी
संलग्न पत्रावली किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली के साथ अनुसार चेकलिस्ट
ये क्रम है

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner